न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) रा

गणपत व अन्य बनाम भगवान

मुकदमा नं. 278/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व ता जो इ तामील
28	18 वकील वादी और प्रतिवादी गण की 19 तारीख तक नहीं पाया जाता है। पश्चात वादिया प्रतिवादीगण की मुख्य तारीख का अवसर तलबाना दिनांक 20/8/19 का पेश हो।	
20/8/19	पश्चात पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। वादी या वादी का वकील वादी अनुपस्थित। अतः वादी या वादी का वकील वादी की अदम पैरवी व अदम पैरवी के द्वारा आदेश 9 R3 CPC के अन्तर्गत किया जाता है। दिवाल फैसल शुभ्रा घोष बनाम रमेश चन्द्र की पत्र वाद खारिज होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner